आर.ई.ओ–225

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क्र.जे.पी.डी / मु.अ.(पवस) / अ.अ.(आर.ई.) / प.1201 / प्रे 538 दिनांक 8/4/12

आदेश

विषय–कृषि कनेक्शनो के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा" लागू करने के सम्बन्ध में।

डिस्कॉम कॉरडिनेशन फॉरम की दिनांक 28.06.2011 को आयोजित 25वीं बैठक (एजेन्डा आइटम न. 25.03) में यह निणर्य लिया गया है कि कृषि कनेक्शनो के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा" 30.09.2011 तक निम्न प्रावधानो के अनुसार स्वीकृत की जाती है –

1. ऐसे कृषक जो उसी कुंए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्वि करते है अथवा दूसरे कुंए पर जो उसी खसरा / खेत / परिसर / मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाए।
2. इस स्वैच्छिक भार वृद्वि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओ को जिन के कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उनसे यदि विद्युत लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर लोड नियमित किया जावे।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओ के कनेक्शनो को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपए 2500/– प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगे।
4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओ को प्रति एच.पी. रूपये (2500 + 2500) कुल रूपए 5000/– मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी।
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओ के लिए आवश्यक होने पर ट्रासंफॉर्मर क्षमता वृद्वि व नई 11 केवी लाईन एवं सबस्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

दिनांक 1.10.2011 के उपरान्त भार सत्यापन (Load verification) के लिए विशेष अभियान चलाया जावे।

मुख्य अभियंता (पवस)
जेपीडी, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2–प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।
3–निदेशक (तकनीकी / वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
4–मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
5–प्रावेधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
6–अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जे.सी.सी. / जेपीडीसी / प्लान / विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।

E:Surendra\Anil Shekhar\REO.doc